

पत्र संख्या- स्था0-1-चल-अचल सम्पत्ति/2020-21/

126 /वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
लखनऊ: दिनांक:: 27 मई, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ग्रेड-2, वाणिज्य कर उ0प्र0।

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/

असिस्टेण्ट कमिश्नर/समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सांख्यिकीय अधिकारी एवं


अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या 04 दिनांक 05.05.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 30.06.2020 तक अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 02/2020/36/1/1976/कार्मिक-2/2020 दिनांक 21 मई 2020 द्वारा सभी अधिकारियों को स्वमूल्यांकन 15 जून, 2020 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने स्वमूल्यांकन के साथ भी चल-अचल सम्पत्ति के विवरण की प्रति अपलोड की जाती है। अतः उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अपलोड करने की अन्तिम तिथि 30.06.2020 के स्थान पर 15.06.2020 निर्धारित की जाती है।

परिपत्र संख्या 04 दिनांक 05.05.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

मुकुल सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 21 मई, 2020

विषय:- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय-सारिणी के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 36/1/1976-कार्मिक-2/2005, दिनांक 21.02.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। समय-सारिणी के अनुसार अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन उपलब्ध कराने की तिथि 15 मई नियत है। प्रविष्टि अंकित करने के लिए निर्धारित दो स्तरों के प्रकरणों में प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 31 अगस्त तक तथा समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 30 सितम्बर तक अंकित करने की व्यवस्था है। प्रविष्टि अंकन के लिए निर्धारित तीन स्तर के मामलों में प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित करने हेतु क्रमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर तक की तिथि नियत है।

2- कोविड-19 महामारी के फैलाव एवं देश में लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश में आवश्यक सेवाएँ जारी रखने तथा कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा युद्धस्तर पर अनवरत कार्य किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा उक्त संदर्भित शासनादेश पर विचार करते हुए राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु निर्धारित समय-सारिणी को वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:

- (1) स्वमूल्यांकन 15 जून तक उपलब्ध करायें जायें।
- (2) जहाँ प्रविष्टि अंकित करने के लिए दो स्तर निर्धारित हैं, वहाँ प्रतिवेदक प्राधिकारी अपना

मन्तव्य 15 अक्टूबर, 2020 तक तथा समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य 31 दिसम्बर, 2020 तक अंकित कर दें।

- (3) जिन मामलों में प्रविष्टि अंकित करने के तीन स्तर निर्धारित हैं, उनमें प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य क्रमशः 31 अगस्त, 2020, 15 अक्टूबर, 2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक अंकित कर दें।
- (4) मण्डलीय/जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रविष्टि अंकित करने के विशेष अधिकार के तहत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपनी प्रविष्टियां 15 अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध करा दें।
- (5) यदि संबंधित प्राधिकारी निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अपना मन्तव्य अंकित नहीं करते तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किये बगैर अगले स्तर के प्राधिकारी संबंधित प्रपत्र तैयार करके प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3- संदर्भित शासनादेश संख्या- 36/1/1976-कार्मिक-2/2005, दिनांक 21.02.2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2020(1)36/1/1976/कार्मिक-2/2020: तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि- सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आजा से
अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.mh.gov.in> में सत्यापित की जा सकती है।